फर्द अहकाम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जिसका पंजिकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज–II, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउण्ट रोड, अन्ना सलाई, चैन्नई–600002, तमिलनाडू, तथा शाखा कार्यालय–होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड़, डीसीएम जयपुर प्राधिकृत अधिकारी श्री संदीप सिंह।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री सत्यनारायण पुत्र श्री देवीलाल नि. मकान संख्या 132, रवाखान मोहल्ला, खण्डेल, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद **–ऋणी**
2. श्रीमति गीता राव पुत्री श्री अनूप लाल नि. मकान संख्या 132, रवाखान मोहल्ला, खण्डेल, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

– सहऋणी

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 57/2022**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 19.04.2022 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, जयपुर ने दिनांकः 02.03.2022 को इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 24.06.2020 को ऋण अनुबंध निष्पादित कर खाता संख्या SERJMND0289725 4,00,000/– अक्षरे चार लाख रूपये का ऋण प्राप्त किया था विपक्षी संख्या 2 ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुनः भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी निर्माणशुदा अचल सम्पत्तियों को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में साम्यिक बंधक किया था। **बंधक सम्पत्ति का विवरणः** श्रीमति गीता पत्नि श्री देवी लाल राव की अचल संपति जो कि मकान नं. 132, रावो का मोहल्ला, ग्राम खण्डेल ग्राम पंचायत लापस्या पंचायत समिति, रेलमगरा जिला राजसमंद में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 484.80 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि पूर्व :– आम रास्ता, पश्चिम :– श्री पवन/गणेश राव का मकान, उत्तर :– श्री लादुलाल/प्यारचंद राव का मकान, दक्षिण : श्री किशनलाल/नंदलाल का मकान है, विपक्षीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी	

न्यायालय जिला कलक्टर

वित्तीय संस्था में उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा विपक्षीगण का खाता दिनांक 03.11.2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया। दिनांक 03.11.2021 को विपक्षीगण के खाते में बकाया राशि 4,32,645/– अक्षरे चार लाख बतीस हजार छः सौ पैतालीस रूपये शेष व देय निकलते हैं। दिनांक 03.11.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए विपक्षीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था ने दिनांक 08.11.2021 को जारी मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत रजि. डाक से दिनांक 16.11.2022 व 17.11.2022 को प्रेषित किया, जिसकी प्राप्ति विपक्षीगण को दिनांक 20.11.2021, 22.11.2021 को होने के बाद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया गया हैं। विपक्षीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा सहऋणी को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 08.11.2021 को जारी किया गया था। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरण :– श्रीमति गीता पत्नि श्री देवी लाल राव की अचल संपति जो कि मकान नं. 132, रावो का मोहल्ला, ग्राम खण्डेल ग्राम पंचायत लापस्या पंचायत समिति, रेलमगरा जिला राजसमंद में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 484.80 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि पूर्व :– आम रास्ता, पश्चिम :– श्री पवन/गणेश राव का मकान, उत्तर :– श्री लादुलाल/प्यारचंद राव का मकान, दक्षिणः श्री किशनलाल/नंदलाल का मकान है।

न्यायालय जिला कलक्टर

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द